

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पटना, दिनांक 31.12.18

पत्रांक 63/आवंटन/

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 10/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्यशीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80 सामान्य, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0102-इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना, विपत्र कोड-23-2852807890102, विषय शीर्ष 0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास संस्थान, पटना द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों/युवतियों की उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) का प्रशिक्षण देने हेतु कुल रू० 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रुपये) मात्र स्वीकृति के आलोक में आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 4782 दि० 28.12.2018 के आलोक में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू० 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना आय-व्ययक शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80 सामान्य, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0102-इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना, विपत्र कोड-23-2852807890102, विषय शीर्ष 0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से विकलित होगा।

3

राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4

राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

5

व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

6

उक्त आवंटित राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक 63/310

पटना, दिनांक 31-12-18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 63/310

पटना, दिनांक 31-12-18

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आईटी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।